कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार

फोन न0 : 01334–239902, फैक्स न0 : 01334–239610
ई–मेल आई0डी0 : ntcpharidwar@mail.com, cmoharidwar2017@gmail.com

दिनांक– 06.04.2022

पत्रांक–एन0टी0सी0पी0 / चालान / 2022–2023 / 2392-01-03

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद हरिद्वार।

विषयक – सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी कियान्वयन हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप विदित है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व धारा 6 के अन्तर्गत जनपद मे दिनांक 23.03.2022 मे होटल जगत इन हरिद्वार मे एक प्रशिक्षण आयोजन किया गया था , जिसमे कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व धारा 6 (क)/ (ख) के नियमों एंव उपबन्धों का उल्लंखन करने वाले उल्लंखनकर्ता पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया । जिसमे जनपद के समस्त थानों एंव चौकी से एक – एक उपनिरीक्षक तथा कांस्टेबल उपस्थित रहे। सभी पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों को अर्थदण्ड बुक इस आशय से प्रेषित की गयी थी , कि वे चालानों की संख्या अधिक से अधिक उक्त धाराओ के अन्तर्गत चालान करते हुए चालानों की रिर्पोट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ,इससे पूर्व में भी दिनांक 18.11.21, 05.09.21, 02.11.21 व 22.11.21(पत्र के साथ सलंग्न) अनुस्मारक द्वारा आपको अवगत कराया गया है। जनपद हरिद्वार में पुलिस द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम में कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत चालानो की कार्यवाही नही की जा रही है। जिसके फलस्वरुप जनपद मे एन0टी0सी0पी0 कार्यकम का सफलतापूर्वक कियान्वयन नही हो रहा है। पुलिस द्वारा माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च में चालानो की रिर्पोट निल आयी है। माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक कुछ थानों (कोत0 नगर ,कोत0 गंगनहर, कोत0 रानीपुर कोत0 ब0बाद) को छोडकर अन्य थानो से चालान नही हो रहे है। वित्तीय वर्ष–2020–21 में धनराशि 17950,00/ रू0 था। परन्तु वित्तीय वर्ष–2021–22 में माह–अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक रू0– 22300,00/रु0 – ही अर्थदण्ड एकत्रित किया गया है।

अतः महोदय आप से अनुरोध है । कि आप कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व धारा 6 को प्रभावी कियान्वयन बनाने हेतु सभी थानों के अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरिद्वार

तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मिशन निदेशक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. जिलाधिकारी , हरिद्वार ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार